न्यायालयः सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम. हसनपुर, जनपद अमरोहा।

उपस्थितः राघवेन्द्र मणि, उ०प्र०न्यायिक सेवा

परिवाद सख्या– ९५७/२०१३

श्रीमती नन्ही.....प्रति.....१. प्रेमचन्द पुत्र रमेशचन्द

२. रमेशचन्द पुत्र भूकनसरन

३. श्रीमती धनवती पत्नी रमेशचन्द

४. हरीश पुत्र रमेशचन्द

५. श्रीमती जावित्री पत्नी ब्रजपाल

निवासीगण ग्राम घनसूरपुर थाना हसनपुर

जनपद अमरोहा।

धारा ४९८ए भा.द.स. व ३/४

दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना हसनपुर

निर्णय

उपरोक्त परिवाद में न्यायालय द्वारा अपने तलबी आदेश दिनांकित ०९.०१.२०१४ के द्वारा अभियुक्तगण प्रेमचन्द, रमेश, धनवती, हरीश, जावित्री को धारा ४९८ए भारतीय दण्ड संहिता व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया है।

संक्षेप में परिवादिनी का कथन इस प्रकार है कि, परिवादिनी की शादी अब से लगभग ७ वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार प्रेमचन्द के साथ सम्पन्न हुई थी। मेरी शादी में मेरे माता पिता द्वारा २ लाख रूपये खर्च किये थे और मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस भी दी थी। परन्तु जब में अपनी ससुराल अपने मायके से विदा होकर गयी तो मेरे ससुराल वाले मेरे माता पिता द्वारा दिये गये सामान से खुश नहीं हुए और मेरे ससुराल वाले मुझे अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मैने अपनी ससुराल वालों को सारी घटना बतायी तो मेरे माता पिता ने मेरी ससुराल वालों को समझा कर शान्त कर दिया। दुर्भाग्यवश मेरे तीन पुत्रियां हुई। जिसमें मेरी ससुराल वाले मुझे बुरी तरह से देखने लगे। मेरे साथ मारपीट करने लगे। मुझे तंग व परेशन करने लगे। यह कहते हुए इब इसे छोड़ दो क्योंकि इसके पुत्र नहीं होने का केवल पुत्रियां ही होंगी। मुझे लगभग २ वर्ष पूर्व मारपीट कर घर से निकाल दिया। उस समय में ८–१/२ माह की गर्भवती थी। दिनांक ०६.१०.२०१३ को समय करीब २.०० बजे दोपहर को सभी उपरोक्त मुल्जिमान एक गाड़ी जीप लेकर मेरे पिता के घर बाटूपुरा आये और सभी मुल्जिमान ने धमकी दी कि या तो हमे तलाक दे दो कि हम प्रेमचन्द की शादी कहीं दूसरी जगह से कर ले वरना तुझे व तेरे भाई जयप्रकाश को जान से मार देंगे।

न्यायालय द्वारा परिवादिनी व परिवादनी के गवाहान के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण प्रेमचन्द, रमेश, धनवती, हरीश, जावित्री को आदेश दिनांक ०९.०१.२०१४ के द्वारा धारा ४९८ए भारतीय दण्ड संहिता व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये अपनी जमानते करायीं तथा न्यायालय द्वारा दिनांक २८.०१.२०१७ को धारा ४९८ए भारतीय दण्ड संहिता व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा २४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी.डब्लु–१ नन्ही को परिक्षित कराया गया हैं। अन्य कोई साक्षी परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है।

परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पी.डब्लु–१ नन्ही को परिक्षित कराया गया हैं। अन्य कोई साक्षी

परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा ३१३ दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने घटना को गलत बताया तथा अपनी सफाई एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्तगण के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९८ए भारतीय दण्ड संहिता व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार पर परिवादी पक्ष पर है।

साक्षी पी.डब्लु–१ नन्ही ने धारा २४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य देते हुए कथन किया है कि, मेरी शादी अब से लगभग दस साल पहले प्रेमचन्द के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मैं अपनी ससुराल घनसूरपुर आ गयी मेरे पति के संसर्ग से तीन लड़कियां पैदा हुई। मेरे पति प्रेमचन्द, रमेश, हरीश, धनवती, जावित्री ने मुझे तंग प्रताड़ित किया था और आज से पांच साल पहले मारपीट कर इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था। प्रेमचन्द दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। अब से तीन साल पहले सभी मुल्जिमान मेरे पिता के घर बाटूपुरा आये मुझ से कहा कि तू तलाक दे दे तथा हम दूसरी शादी कर ले। मुझे मुल्जिमान ने जान से मारने की धमकी दी।

साक्षी पी.डब्लु–१ नन्हीं ने धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देते हुए प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मेरी शादी आज से दस साल पहले प्रेमचन्द के साथ हुई थी। शादी के पश्चात मुझसे व मेरे पति से तीन लड़कियां पैदा हुई। आज से पांच साल पहले मेरी मेरे पति से कहा सुनी हो गयी थी। मैंने दूसरों के कहने में आकर यह मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। मुझसे किसी ने दहेज की मांग नहीं की और न ही मुझे दहेज के लिए मारापीटा। मुझसे मेरे पति ने कभी भी तलाक देने के लिए नहीं कहा था। मुल्जिमानों से मेरा समझौता हो गया है। अपनी ससुराल में अपने पति के साथ खुशी से रह रही हूं। ये कहना गलत है कि मुल्जिमानों के बचाव के लिए अथवा पैसे के लालच में झूठी गवाही दे रहीं हूं।

प्रस्तुत मामले में परिवादिनी द्वारा स्वय. पी.डब्लु–१ नन्ही के रूप में धारा २४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यद्यपि परिवाद में अंकित कथनों का समर्थन किया है परन्तु साक्षी पी.डब्लु–१ नन्हीं द्वारा धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिये गये बयान में यह स्वीकार किया गया है कि, उसका मुल्जिमान प्रेमचन्द, रमेशचन्द, धनवती, हरीश, जावित्री से समझौता हो गया है। परिवादिनी का अपने पति से कहा सुनी हो गयी थी, मुल्जिमान ने परिवादिनी से कभी भी दहेज की मांग नहीं की न ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया न ही मारापीटा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मेरे पति ने कभी भी मुझसे तलाक देने के लिए नहीं कहा, मुकदमा दूसरें लोगों के कहने पर लिखवा दिया था। मुल्जिमान से समझौता हो गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लु–१ स्वयं परिवादिनी नन्हीं द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा २४६ दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिवाद में अंकित तथ्यों का समर्थन नहीं किया गया है। अन्य कोई साक्षी परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में परीक्षित नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय की राय में परिवादनी पक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में विफल रहा है।

निष्कर्षतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण प्रेमचन्द, रमेशचन्द, धनवती, हरीश, जावित्री को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा ४९८ए भारतीय दण्ड संहिता व ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में जमानत पर है। धारा ४३७–ए

दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानत नामें व बंध पत्र निर्णय की तिथि से ६ माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें। तत्पश्चात किसी प्रतिकूल आदेश के अभाव में उन्मोचित समझे जायेगें।

३१.०१.२०१७

(राघवेन्द्र मणि)
सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
३१.०१.२०१७

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

३१.०१.२०१७

(राघवेन्द्र मणि)
सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम.
हसनपुर
३१.०१.२०१७